

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल
आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :- 339/2021

रतनलाल पुत्र गंगाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ

-- वादी

बनाम

1. मंशाराम पुत्र गंगाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल पुत्र गंगाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. सहीराम पुत्र तुलछाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. कालूराम पुत्र तुलछाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. कुंभाराम पुत्र देवाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. बोगी देवी पत्नी पतराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. बादो देवी पुत्री पतराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. किस्तुरी देवी पुत्री देवाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. ज्ञानो देवी पुत्री देवाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. हस्तु देवी पुत्री गंगाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. शम्बो बाई पुत्री गंगाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12. केसर देवी पुत्री गंगाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
13. शारदा देवी पुत्री तुलछाराम जाति बावरी साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 16/10/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 14 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर

खाता विभाजन किया जाता है:-

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ




क.	वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		20 एमओडी	21/255	1 ता 4, 5/1/.017 उत्तर की ओर पूर्व पश्चिम लम्बाई	1.029 हैक्.
		1 टीकेडब्ल्यू-ए	16/230	4, 5	0.506 हैक्.,
			17/230	1, 2, 3/.164, 8/.051, 9/.101, 10/.126	0.948 हैक्
			16/229	13 ता 16, 18, 23, 25	1.771 हैक्.
			17/229	21, 22/.213,	0.466 हैक्.
ख.	प्रतिवादी सं. 1 को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		20 एमओडी	21/255	5/2 दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम लम्बाई	0.110 हैक्.
		5 एचडीपी-ए	5/252	1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22	2.530 हैक्.
ग.	प्रतिवादी सं. 2 को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		5 एचडीपी-ए	5/252	4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25	2.530 हैक्.
घ.	प्रतिवादी सं. 3 को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		5 एचडीपी-ए	5/252	3, 8, 13, 18, 23	1.265 हैक्.
ड.	प्रतिवादी सं. 4 को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		1 टीकेडब्ल्यू-ए	16/229	3, 4, 5/.215, 6 ता 8	1.480 हैक्.
च.	प्रतिवादी सं. 5 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6-7 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब.	चक	प.नं.	किला	तादादी
		1 टीकेडब्ल्यू-ए	16/229	17, 24	0.506 हैक्.
			17/229	10/.114, 11/.228, 12/.025, 19/.114, 20/.253, 22/.015, 23/.038	0.787 हैक्.

ओंकार पुत्र देवाराम का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(उपखण्ड अधिकारी एवम्)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा